कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

शिविरा–प्रारं/नियुक्ति प्रको./नि–2/982/शि.भ–2016/लेवल–II/2016–17 दिनांकः 27/08/2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
समस्त जिला परिषद।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) लेवल – द्वितीय अंग्रेजी गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं लेवल–द्वितीय विज्ञान/गणित व अंग्रेजी अनुसूचित क्षेत्र के चयन रिशफल के उपरान्त अभ्यर्थियों के पदस्थापन/नियुक्तियों के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल याचिका संख्या 7215/2018 राजूराम व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2018 की पालना में राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) लेवल–द्वितीय अंग्रेजी गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं लेवल–द्वितीय विज्ञान/गणित व अंग्रेजी अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में क्रमशः जारी विज्ञापन क्रमांक 1/2017 दिनांक 11.09.2017 एवं 2/2017 दिनांक 11.09.2017 के अन्तर्गत पूर्व में जारी चयन सूचियों में से अपात्र/अनुपस्थित अभ्यर्थियों के नाम हटाते हुए चयन को रिशफल किया जाकर दिनांक 20.08.2018 को वर्गवार चयन सूचिया व अंतिम कटऑफ जारी किये गये हैं, व चयन रिशफल के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला आवंटित किये जा चुके हैं।

उक्तानुसार चयन रिशफल के कारण चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति व इनके संबंध में करणीय कार्यवाही निम्नानुसार हैः–

1. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों के जिला परिवर्तन होने पर उन्हें शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से नवीन आवंटित जिले हेतु दिनांक 01.09.2018 तक अनिवार्यतः कार्यमुक्त किया जावे।
2. पूर्व में कार्यग्रहण कर चुके अभ्यर्थियों को कार्यमुक्त किये जाने बाद नव आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाया जाकर इसका सुसंगत अभिलेख संधारित किया जावे।
3. पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थी जिनका जिला परिवर्तन हुआ है, नव आवंटित जिले में काउंसलिंग के माध्यम नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही इनका पदस्थापन किया जावे।
4. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग करवाई जा चुकी है व वर्तमान तक नियुक्तियां प्रदान नहीं की गई है, ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज नव आवंटित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रेषित किये जावे व नव आवंटित जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इनकी पात्रता सुनिश्चित करते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्तियां/पदस्थापन किया जावे।
5. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनकी काउसलिंग करवाई जा चुकी है व जिनका चयन रिशफल से जिला परिवर्तित नहीं हुआ है, उनको तत्काल नियुक्ति प्रदान की जावे।
6. चयन रिशफल के कारण नव चयनित हुए अभ्यर्थियों एवं बिन्दु सं. 4 के अनुसार अन्य जिलों से प्राप्त अन्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन किये जाकर पात्रता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार व इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्तियां/पदस्थापन किया जावे।
7. ऑफलाईन आवेदन के आधार पर चयनित किये गये अभ्यर्थियों के आवेदन व अन्य दस्तावेज भिजवाये गये हैं। अतः इनकी पात्रता सुनिश्चित करते हुए उक्तानुसार नव चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन/नियुक्तियां प्रदान की जावें।

27/8

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग
राजस्थान बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

27/8

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग
राजस्थान बीकानेर